न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2757–तीन/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.08.2002 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 66/2001–02 निगरानी

नवल किशोर पुत्र प्रहलाद अवयस्क
संरक्षक पिता प्रहलाद,ग्राम पलपुर
तहसील व जिला मुरैना मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती बबीता पत्नि रामनाथ पुत्री
ललपति निवासी ग्राम पलपुर
त्हसील व जिला मुरैना मध्य प्रदेश ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री ओ0पी0शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श
(आज दिनांक १९ – १०–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 66/2001–02 निगरानी में पारित दिनांक 21.08.2002 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (आगे जिसे संहिता अंकित किया गया है) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक के पिता ने तहसीलदार मुरैना के समक्ष संहिता की धारा 110 के अंतर्गत

आवेदन दिनांक 29.12.1999 प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम बसई स्थित खाता क्रमांक 188 पर धारित कुल किता 20 कुल रकबा 3.93 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) लालपति पुत्र मवसिया काछी के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है जो अब मृतक हैं। लालपति ने अपने जीवन--काल में एक पंजीयत बसीयतनामा दिनांक 6.12.97 आवेदक के हित में संपन्न कराया है अतः बसीयत के अनुसार उसका नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 20/99-2000 अ-6 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरात आदेश दिनांक 17.10.2000 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 31/2000-2001 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 31-8-2001 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 17-10-2000 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 125/2000-2001 में पारित आदेश दिनांक 11-3-2002 से निगरानी निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 66/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 21-8-2002 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों

का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि मृतक लालपति पुत्र मवसिया काछी के पुत्र का पुत्र अर्थात नाती आवेदक है जबकि अनावेदक लालपति पुत्र मवसिया काछी की पुत्री है। तहसीलदार मुरैना के प्रकरण क्रमांक 20/99-2000 अ-6 के अवलोकन से एंव आदेश दिनांक 17.10.2000 के देखने से यह ज्ञात नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि मृतक लालपति पुत्र मवसिया काछी की पैत्रिक संपत्ति है अथवा स्वअर्जित संपत्ति है - तहसीलदार व्दारा विस्तृत जांच नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अपर कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 11.3.2002 के से यह भी परिलक्षित है कि उन्होंने आदेश में अंकित किया है कि विचाराधीन नामान्तरण प्रकरण में उनके समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 68/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 30.6.2000 में तहसीलदार को निर्देश दिये गये थे कि अनावेदक श्रीमती बबीता पत्नि रामनाथ को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जावे, किन्तु इन आदेशों का तहसीलदार ने पालन नहीं किया है। वैसे भी अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 31/2000-2001 अपील में आदेश दिनांक 31-8-2001 से तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस पहुंचने पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त है जहां वह अपना अपना पक्ष प्रबल रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के अपील क्रमांक 31/2000-2001 में पारित आदेश दिनांक

31-8-2001 एंव अपर कलेक्टर मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 125/2000-2001 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-3-2002 तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 66/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21-8-2002 के निष्कर्ष समवर्ती होने से हस्तक्षेप का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 66/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21-8-2002 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर